कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास निधि, कांकेर

जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

Phone.No. 07868-241222, Fax. No. 07868-241801 **E-Mail Id – dmkanker.steno@gmail.com**

-: संविदा भर्ती विज्ञापन :-

क्रमांक/5614/कले./डीएमएटी/भर्ती/2023-24 कांकेर, दिनांक 16/8/2023

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 7-34/2016/XII रायपुर दिनांक 23.03.2021 द्वारा स्वीकृत पद संरचना अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निधि 2015 के नियम-26 के उप नियम- (4) के तहत् जिला खनिज संस्थान न्यास निधि कांकेर हेतु स्वीकृत पदों की भर्ती हेतु इच्छूक एवं योग्य उम्मीद्वारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि, जिला उत्तर बस्तर कांकेर** (छ0ग0) पिन कोड नंबर 494334 के नाम से दिनांक 05/09/2023 शाम 5.00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। नियत तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञापित पद का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र	पद का नाम	कुल पद	पद का स्वरूप	वेतनमान (एकमुश्त)	वर्गवार	आयु		शैक्षणिक योग्यता
						न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विकास सहायक	01	संविदा	75000/-	अनारक्षित (मुक्त-1)	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण। 2. प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा।
2	लेखापाल	01	प्रतिनियुक्ति / संविदा	18420/-	अनारक्षित (मुक्त-1)	21 वर्ष	35 वर्ष	1.मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बी.कॉम में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण) 2.मान्यता प्राप्त संस्था से पीजीडीसीए उत्तीर्ण एवं Tally Software का पर्याप्त ज्ञान। (आयु वर्ष 21 से 35 वर्ष) 3. लेखा संबंधी कौशल परीक्षा ली जाएगी। 4. उपरोक्त योग्यताधारी आवेदक उपलब्ध नही होने पर सेवानिवृत्त लेखापाल एवं सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-01 (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) को संविदा से लिया जायेगा। (आयु वर्ष 21 से 65 वर्ष)
3	सहायक ग्रेड-03	02	संविदा	14200/-	अना.-01 (मुक्त) अजजा. -01 (मुक्त)	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। 3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईप लेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

4	भृत्य	01	संविदा	11360/-	अनारक्षित (मुक्त-1)	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 वीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।

पद क्रमांक-1 विकास सहायक –

1. **चयन प्रक्रिया** :- कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।
2- न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए 60 अंक और साक्षात्कार 20 अंक एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय किसी परियोजना में प्रबंधन कार्य का अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी, अनुभव पर अधिकतम 20 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 04 अंक)
3. अनुभव की अर्हता पूरी नहीं करने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा।
4. विकास सहायक पद हेतु छ.ग. के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

पद क्रमांक- 2 लेखापाल –

1. **चयन प्रक्रिया** :- कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।
2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए 60 अंक और कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा 30 अंक, शासकीय/अर्द्धशासकीय विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्यानुभव में अधिकतम 10 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 02 अंक) के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।
3. लेखापाल पद हेतु छ.ग. के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. 05 वर्ष लेखा सेवा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। (प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त) अभ्यर्थी के लिए।
5. पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
6. चयनित अभ्यर्थी के साथ 05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
7. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाए गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवावृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होंगे।

पद क्रमांक – 03, सहायक ग्रेड – 03

01. **चयन प्रक्रिया** – कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।
02. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए 50 अंक और कम्प्यूटर व कौशल परीक्षा 35 अंक एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय में कम से कम समान वेतनमान समान पद पर कार्यानुभव में अधिकतम 15 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 03 अंक) के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।
03. सहायक ग्रेड-03 पद हेतु छ.ग. के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
04. पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
05. चयनित अभ्यर्थी के साथ 05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
06. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाए गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवावृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होगें।

07. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

पद क्रमांक -3 भृत्य -

1. **चयन प्रक्रिया :-** कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।
2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर मेंरिट सूची तैयार की जावेगी।
3. भृत्य पद हेतु छ.ग. के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नियम एवं अन्य शर्ते :-

1. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना कारण बताए कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
2. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
3. लेखापाल पद हेतु प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त उम्मीद्वारों को प्राथमिकता दी जावेगी। प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त उम्मीद्वार उपलब्ध नहीं होने पर अन्य उम्मीदवार को लिया जायेगा।
4. चयनित अभ्यर्थी के साथ 05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
5. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाए गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होगे।
6. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन भत्ता या अन्य उपादान राशि की पात्रता नहीं होगी।
7. उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षति-पूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
8. दिनांक 01.07.2023 की स्थिति में पद क्रमांक 01 हेतु न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष, पद क्रमांक 02 के लिए न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष (प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त) एवं पद क्रमांक 03 के लिए न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष तथा पद क्रमांक 04 के लिए न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। अंतिम मैरीट सूची में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दशा में जन्मतिथि आयु में वरियता के आधार पर चयन में प्राथमिकता दी जावेगी। आयु सीमा में शासन द्वारा समय-समय में दी गई छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।
9. कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
10. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को 5/-रूपये का डाक टिकट लगा 02 खाली लिफाफा (10X4) अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
11. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति के समर्थन में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. उम्मीद्वार को अपनी आयु सत्यापन हेतु आठवी, हाईस्कूल प्रमाण पत्र/अंकसूची की प्रमाणित (स्वयं सत्यापित) छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा व पूर्व संस्था का नियुक्ति पत्र, वेतन (pay slip) सहित प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
14. उम्मीद्वारों के द्वारा लिफाफे में आवेदित पद का नाम, श्रेणी स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा।

15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

16. आवेदन के साथ शैक्षणिक अर्हता अनुसार समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

17. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव, घटाया-बढ़ाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है।

18. शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है, तो इस विज्ञप्ति में लागू होगा।

19. उक्त भर्ती में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

20. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी मानदेय/वेतन भुगतान संबंधी आदेश/निर्देश लागू होगा।

21. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि, कांकेर के पास सुरक्षित रहेगा।

22. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

23. आवेदन पत्र में अपूर्ण आवेदन, आवेदक के हस्ताक्षर अथवा स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो नहीं होने पर आवेदन अमान्य/अपात्र किया जावेगा। इस संबंध में कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

24. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चतर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीद्वारों की संख्या सिमित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

25. संविदा नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा। छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति नियम/प्रावधानों के अनुरूप किया जावेगा।

(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन सचिव
जिला खनिज संस्थान न्यास निधि
उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक/5619/कले./डीएमएटी/भर्ती/2023-24 कांकेर, दिनांक 16/8/2023

प्रतिलिपि :-

01. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर महो. जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
03. नोडल अधिकारी, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि, कांकेर को सूचनार्थ।
04. जिला खनिज अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
05. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कांकेर को सूचनार्थ एवं जिले की वेबसाईट में अपलोड़ करने हेतु।
06. जिला जनसंपर्क अधिकारी, कांकेर को निःशुल्क समाचार पत्र में प्रकाशन करने हेतु सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन सचिव
जिला खनिज संस्थान न्यास निधि
उत्तर बस्तर कांकेर

जिला खनिज संस्थान न्यास निधि, कांकेर

निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप
(प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें)

पद कमांक – ....
आवेदित पद का नाम – ....
वर्ग (जाति) – ....
लिंग – ....

नवीनतम पासपोर्ट फोटो स्वयं द्वारा प्रमाणित चस्पा करें।

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला खनिज संस्थान न्यास निधि, कांकेर
जिला – उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी में) :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. अ. जन्मतिथि अंकों में :– ....
   ब. शब्दों में :– ....
4. आयु दिनांक 01.05.2023 को :– वर्ष ....माह ....दिन...........

05. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :– ....
....
..................................मो.नं. ....

06. पत्र व्यवहार का स्थायी पता :– ....
....
..................................मो.नं. ....

07. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित :– ....
पंजीयन कमांक व दिनांक :– ....

08. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है? :– ....
(यदि हां तो सक्षे अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वयंसत्यापित प्रति संलग्न करें)

09. क्या आवेदक छ.ग. राज्य द्वारा छ.ग. राज्य के :– ....
लिये घोषित अजा/अजजा/अपिव का सदस्य है ? हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

10. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं :– ....
(यदि हां तो विकलांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

11. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत :– ....

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? :– ....
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

13. क्या आवेदक विवाहित है? हां/नहीं :– ....

14. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :- ....

15. जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्म तिथि :- ....

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में :- ....
सेवारत है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

17. क्या आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध कोई दाण्डिक :- ....
प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? हां, तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण कमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट उल्लेख करें।

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. .... 8. ....
9. .... 10. ....
11. .... 12. ....

आवेदक का हस्ताक्षर

–: घोषणा पत्र :–

मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :- .... **आवेदक का हस्ताक्षर**

स्थान :- ....